

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (भ्र०नि०अधि०)
कोर्ट सं०-1, गोरखपुर।

सिविल अपील संख्या-56/2014

रमेश कुमार चौरसिया ----- बनाम ----- सुरैया मारुफी

दिनांक-14.07.2023

निस्तारण प्रार्थना पत्र 122क2

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अपीलान्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। रेस्पान्डेन्ट अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 122 क 2 नियत है।

प्रार्थना-पत्र 122 क 2 अपीलान्त द्वारा इस आशय का दिया गया है कि अपीलान्त संख्या-2 दिनेश कुमार की मृत्यु दिनांक 17.01.2023 को हो गया है। उक्त मृतक के विधिक उत्तराधिकारी उसकी पत्नी 2/1 श्रीमती किरन देवी व एक पुत्र 2/2 धीरज कुमार चौरसिया है। इनके अलावा उक्त मृतक का कोई विधिक उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद कार्यवाही वरासत मेमो आफ अपील में उक्त मृतक के बावत संशोधन किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी ने मेमो आफ अपील में अपलार्थी के जुमरा में अपीलार्थी संख्या -2 के नाम व पता के बाद शब्द 'मृतक दौरान अपील' एवं अपीलान्त संख्या-2 के विधिक उत्तराधिकारियों का नाम अंकित किये जाने तथा अपील के दफा 19 के बाद एक अतिरिक्त दफा 19 स दर्ज किये जाने की याचना की है।

रेस्पान्डेन्ट अनुपस्थित। रेस्पान्डेन्ट द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 122 क 2 शपथ-पत्र 123 ग से समर्थित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण समस्त पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त किया जाना चाहिए। प्रतिस्थापन कार्यवाही का उद्देश्य महज मुकदमें को संचालित करना होता है। अपीलान्त द्वारा वरासत प्रार्थना पत्र समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थना-पत्र 122 क 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 122 क 2 स्वीकृत किया जाता है। अपीलान्त संख्या-2 दिनेश कुमार के विधिक वारिसानों के सम्बन्ध में वांछित संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाये। पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 10-08-2023 को पेश हों। T.I. प्रभावी।

अपर जनपद न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश
(भ्र०नि०अधि०), कोर्ट सं०-1, गोरखपुर।